न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 11/2019 (अपील)
GCMS No. 2019/00023

अनवान

1. श्रीमती गीता पत्नी सरदारमल गर्ग पिता मोतीराम गुरू निवासी मन्नाजी का गुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सोहनलाल पिता खंगाराम गुरू निवासी भाटमादडा, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

–

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय सैन, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता रेस्पो. ।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार गोगुन्दा के प्र.स. 2/2019 दिनांक 18.02.2019

* निर्णय *

दिनांक– 06-06-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्थगन प्रार्थना पत्र मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल पुरूष मोतीराम जी थे जिनके एक लडका कस्तुरचन्द्र एवं एक लडकी गीताबाई है। कस्तुरचन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 10.10.2016 को हो गया तब उनकी पत्नी सायरबाई जिवित थी, उनके कोई लडका नहीं था। सायरबाई की एक बहन पानीबाई एवं भाई किकाराम था, किकाराम की औरत टांकूबाई है तथा सायरबाई की मृत्यु दिनांक 23.10.2016 को हो गई। सायरबाई जब बिमार थी तब वह बाली मे तीन दिन एडमिट रही, बेहोशी की हालत मे सायरबाई को गांव खांगावाडा ले गये तब उस हालत में खाली कागजो पर अंगूठे की निशानी करवा दी तथा उसके मरने पर तहसीलदार गोगुन्दा के यहां सोहनलाल ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में सायरबाई द्वारा अपनी चल अचल सम्पती को वसीयत कर देने से वसीयत के आधार पर कथित जमीन को अपने नाम पर कराने का प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही की गई। दिनांक 18.02.2019 को अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस दिये बिना सूने बिल्कुल फर्जी वसीयत के आधार पर म्यूटेशन अपने नाम पर कराने का आदेश प्राप्त कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

लिया। वसीयत पत्र को देखने पर ही पता चलता है कि वह बिल्कूल फर्जी तैयार की गई है वसीयत सायरबाई के मरने के बाद टाईप कराई गई है। पानीबाई, टॉकूबाई व खोपाराम के दस्तखत कराये गये है एवं वसीयत जिसके पक्ष में लिखी गई उसके हस्ताक्षर नहीं होते है परन्तु इस मामले में सोहनलाल ने भी हस्ताक्षर किये है यह वसीयत बिल्कूल फर्जी तैयार की गयी है। तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सोहनबाई के स्वर्गवास होने पर जायदाद अगर उसके लडके, लडकी या पति हो तो उनके नाम दर्ज की जाती है तथा लडके, लडकी या पति नहीं होने पर पति के वारिसान के नाम दर्ज की जाती है इस मामले में पति की वारिस एकमात्र अपीलाण्ट है वसीयत फर्जी बनायी गयी है। वसीयत के आधार पर कथित भूमि का म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। म्यूटेशन में केवल वारिसान के आधार पर ही किया जायेगा। यह वसीयत फर्जी तैयार की गयी है तथा वसीयत को देखने से ही स्पष्ट है कि यह वसीयत फर्जी बनायी गयी है जबकि सायरबाई ने कभी कोई वसीयत रेस्पोडेन्ट के हक में नहीं की है। गवाहो ने यह नहीं कहा कि वसीयतनामें पर सायरबाई ने मेरे सामने अंगूठे की निशानी दी। जब तक गवाह यह नहीं कहता है तो वसीयत का निष्पादन साबित नहीं होता है। जब नेचुरल वारिस अपीलाण्ट जिन्दा है तो यह जायदाद वसीयत से दी जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। खांगाराम का मूल पुरूष मोतीराम का दूर का रिश्तेदार है। खांगाराम मर चुका है उसका लडका सोहनलाल ने पानीबाई से मिलकर फर्जी वसीयत तैयार कर उस पर गलत गवाह के अंगूठे व साईन करवाकर म्यूटेशन खुलवा लिया जबकि फर्जी वसीयतनामे के आधार पर तथा अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प वसीयतनामे के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। कथित स्टाम्प वसीयतनामे का सायरबाई ने नहीं खरीदा न सायरबाई ने कोई वसीयत ही की। कथित स्टाम्प खरीदने वाला बाबूलाल है तथा बाबूलाल का सारबाई से क्या सम्बन्ध है यह नहीं बताया गया है। केवल जायदाद हडपने के लिए फर्जी वसीयत बनायी गयी है तथा तहसीलदार से मिलकर म्यूटेशन अपने नाम करवा लिया जिससे नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय व विधि के विपरित होकर बिना अधिकार के होकर काबिल निरस्त के है। कस्तुरचन्द के नेचुरल वारिस जिन्दा है तो जायदाद नेचुरल वारिस में वेस्ट करेगी तथा यह म्यूटेशन अपीलाण्ट के नाम किया जाना आवश्यक था फिर भी तहसीलदार ने सोहनलाल से मिलमिलाकर सोहनलाल के नाम पर वसीयत साबित नहीं होते हुए भी जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। ऐसी अनरजिस्टर्ड व फर्जी वसीयत के आधार पर म्यूटेशन किया ही नहीं जा सकता है तथा फर्जी वसीयत बनायी उस गवाह के रेस्पोडेन्ट के मिलने वालो के हस्ताक्षर व अंगूठे की निशानी कर दी जो बिल्कुल गलत है ऐसे मामले में अपीलाण्ट को नोटिस दिया जाकर उन्हें सुना जाकर उनके मुकाबले गवाह ली जाकर यानि अपीलाण्ट को क्रोस का अवसर दिया जाकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बातो को नजरअन्दाज करते हुए जो आदेश पारित किया वह बिल्कूल गलत होकर काबिल निरस्त के है। वसीयत पर साख देइन्दा के बाद वसीयतकर्ता के अंगूठे की निशानी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

या दस्तखत होना आवश्यक है जो साखकर्ता के समक्ष किये जावे तथा साखकर्ता द्वारा यह कहा जाना व साबित किया जाना आवश्यक है कि वसीयत पर ए टू बी निशानी वसीयतकर्ता की है जो मेरे समक्ष की जब तक कोई गवाह यह नहीं कहता है तब तक वसीयत साबित नहीं होती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी स्थिति को देखे बिना मर्जीमकसूद तरीके से जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 निरस्त किया जाकर कथित जमीन का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम खोला जाकर स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया है। कस्तुरचन्द की पत्नी की 12 दिन बाद मृत्यु हो गई। 12 दिन बाद ही कुटरचीत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खोला। स्टाम्प भी इसने नहीं खरीदा, अंगुठा निशानी वसीयत लिखने से पहले खाली कागज पर लगवाये गये है जो प्रोपर जगह नहीं है। अनपढ होने से पढलिखकर वसीयत नहीं कर सकती है। किसी भी गवाह ने नहीं बताया कि वसीयत उनके सामने लिखी गई है। रजिस्टर्ड वसीयत को भी न्यायालय में साबित कराने के बाद नामान्तरकरण खोला जाता है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण खरिज किया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीर प्रस्तुत कीः—

- RRT 2014(1) page 196
- RRT 2011(1) page 646
- RRT 2020(2) page 1066
- RRT 2017(2) page 1279

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि 2016 में मृत्यु बताई है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही 2019 में हुई है। 3 साल तक आप द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। आप ननंद है आपकी शादी हो चुकी है। मुझे सेवा करने के कारण वसीयत की गई है। गांव के लोग है इसलिए अंगुठा गलत लग सकता है। तहसीलदार ने अखबार में प्रकाशन कराने के बाद, बयान लेकर कार्यवाही की है। आप को दावा करके

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

साबित कराना होगा। अधिनस्थ न्यायालय की प्रकिया नियमानुसार है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मूल पुरूष मोतीराम हुए जिनके वारिसान में कस्तुरचन्द्र व अपीलाण्ट गीताबाई है। कस्तुरचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान सायरबाई हुई जिसकी मृत्यु दिनांक 23.10.2016 को हो चुकी है। सायरबाई द्वारा एक वसीयत पत्र श्री सोहनलाल पिता खंगाराम के पक्ष में दिनांक 21.10.2016 को लिखी गई। उक्त वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्र.स. 2/19 दिनांक 22.01.2019 को दर्ज किया जाकर प्रकरण में वसीयत के आधार पर वाद वर्णित भूमि को सोहनलाल के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट का तर्क है कि खाली कागज पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाकर बाद में वसीयत लिखी गई है। चूंकि सायरबाई के पति कस्तुरचंद की मृत्यु दिनांक 10.10.2016 को हुई। ग्रामीण रितीरिवाज के अनुसार कम से कम 1 माह तक घर में रहना पडता है। साथ ही कस्तुरचंद की मृत्यु के 12 दिन बाद दिनांक 23.10.2016 को सायरबाई की मृत्यु हो गई थी। वसीयतनामा में प्रयुक्त स्टाम्प भी सायरबाई द्वार नहीं खरीदा गया था। तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होना बताकर निरस्त किया जाने की प्रार्थना की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा की पत्रावली के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह सुनवाई का अवसर देकर समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन करवाने के पश्चात दिया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में विधिक प्रकिया का पूर्ण पालन किया गया है। अपीलाण्ट का ऐतराज है कि वह सायरबाई की विधिक वारिस है एवं भूमि पैतृक होने से उसका हक अधिकार बनता है उक्त निर्णय उसे बिना सुने पारित किया गया है, जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से होती है। चूंकि न्याय की मंशा यह रहनी चाहिए कि कोई भी निर्णय सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर मेरिट पर किया जाना चाहिए। अपीलाण्ट मूल पुरूष मोतीराम की विधिक वारिस होकर इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अपीलाण्ट के हद तक शून्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या 2/2019 अनवान सोहनलाल बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 18.02.2019 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि सायरबाई के विधिक वारिसान को सुनकर पत्रावली में नये सिरे से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर